न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—8/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/8)

1. भीखाराम पुत्र गोकल, जाति रेगर, निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. पांचू पुत्र रेवता
2. उगना पुत्र मोहन
3. पप्पूराम पुत्र मोहन
4. संतोष पत्नी सोहनलाल
   जाति रेगर, निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
5. एस.बी.आई जरिए शाखा प्रबंधक मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 9.06.2017 उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, राजस्व वाद संख्या 53/2016

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री भानुप्रताप सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6
5. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 53/2016 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 09.06.2017 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जेठाना के साबिक खाता संख्या 851 नया 782 पुराना के खसरा नम्बर 5395, 5396, 5419, 5427, 5537 की आराजी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। वाद वर्णित आराजी में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा खसरा संख्या 5419, 5425, 5427, 5537 में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संखय 2 व 3 का 1/3 हिस्सा व खसरा संख्या 5395, 5396, 5397 में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा आता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने—अपने हिस्से पर काबिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

काश्त है तथा सभी एक खेत से दूसरे खेत मे आने जाने के लिए खेतों में से होकर ही आवाजाही करते हैं। वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा नहीं हुआ है जिसके कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मध्य हक, हिस्से व रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। इस कारण वादग्रस्त आराजी का संयुक्त रूप से काश्त करना मुश्किल हो गया है। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 दिनांक 16.06.2016 को अपने खेतों पर गया तो अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी को अपने खेतों में जाने से रोका तथा कहा कि आईन्दा इन खेतों से नहीं निकलना तथा मौके से वादी को भगा दिया। इसलिए वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के न्यायालय में वादग्रस्त आराजी का विधिक बंटवारा कराने व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु राजस्व वाद पेश किया। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2016 जारी करने का आदेश पारित कर दिया जो अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना, बिना सभी खातेदारों को पक्षकार बनाए, बिना सरकार को जवाब लिए अपीलांट को समुचित तामिल किए बिना वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिए बिना उक्त राजस्व वाद में कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव का नोटिस दिए ही अंतिम डिक्री दिनांक 9.06.2017 पारित कर दी। इन उक्त वर्णित आधारों पर अपीलांट उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 09.06.2017 को यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05 उपस्थित नहीं हुए, ना ही लिखित बहस प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 04 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 09.06.2017 की प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। जब प्रार्थी उसके हिस्से की भूमि की सार संभाल व निराई गुडाई दिनांक 25.12.2021 को दिन में कर रहा था कि उसी समय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनके परिवार के सदस्यगण मौके पर आकर प्रार्थी की निराई गुडाई रोकने का प्रयास करने लगे व प्रार्थी को धमकाते हुए कहा तिक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 09.06.2017 को ही पारित किया जा चुका है अब यहां काश्त मत करता। जिस पर प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 09.06.2017 की जानकारी 25.12.2021 को हुई कि जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 27.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अपीलाधीन आदेश कि जानकारी करवा कर अपीलाधीन आदेश व डिक्री की नकल हेतु उसी दिन दिनांक 27.12.2021 को नकल हेतु आवेदन करवाया जो कि प्रार्थी को दिनांक 28.12.2021 को दी गई तब प्रार्थी वापस अपने गांव गया व फीस की व्यवस्था कर दिनांक 30.12.2021 को अजमेर आकर अभिभाषक से संपर्क कर उक्त अपील अंदर मियाद पेश कि जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

संख्या 1 को कोई विधिवत सूचना नोटिस ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जो नाटिस जारी किया उस पर अपीलांट घर पर नहीं मिला होने की रिपोर्ट है और उक्त नोटिस रिंकू पुत्री उगमा रेगर को देना बताया है जबकि रिंकू पुत्री उगमा का घर अलग है, रिंकू पुत्री उगमा अपीलांट के साथ नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा मिलीभगत कर ही राजस्व वाद पेश किया गया था और वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 ने मिलीभगत कर ही अपीलांट को नोटिस रिंकू पुत्री उगमा को दिलाकर तामील कुनिन्दा से मिलीभगत कर तामिल की झूठी रिपोर्ट नोटिस पर करवा कर उक्त अदम तामिल नोटिस पर तामिल रिपोर्ट करवा कर उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के न्यायालय में पेश करवा दिया। उक्त अदम तामिल नोटिस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से तामिल मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक्स पार्टी आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश व डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश व प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व विधि अनुसार कोई नोटिस सम्मन सूचना ही नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विरोधाभाषी कथन करते हुए राजस्व वाद पेश किया गया था क्योंकि एक तरफ वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने हिस्से अनुसार मौखिक बंटवारा कर रखा है व उसी अनुसार काबिज काश्त हैं, जबकि दूसरी ओर वादी सभी खसरा नम्बरों में 1/3 हिस्से का अनुतोष मांग रहा है। उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए ही आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा पारित अंतिम डिक्री को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस परिवार के सदस्य द्वारा लिये जाने बाद तामील प्राप्त हुए थे। इस प्रकार प्रतिवादीगण को प्रस्तुत प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए और अपीलीय न्यायालय में यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके नोटिस प्रोपर तामिल नहीं हुए गलत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोष प्रद नही होने से प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. तत्पश्चात विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि आराजी में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा खसरा संख्या 5419, 5425, 5427, 5537 में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा व खसरा संख्या 5395, 5396, 5397 में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा आता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा सभी एक खेत से दूसरे खेत मे आने-जाने के लिए खेतों में से होकर ही आवाजाही करते हैं। वादग्रस्त आरजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा नहीं हुआ है जिसके कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मध्य हक, हिस्से व रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। इस कारण वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस द्वारा तामील कराने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 से 5 उपस्थित नहीं हुए तथा प्रतिवादी संख्या 06 के नोटिस भी बाद तामीली के प्राप्त होने के पश्चात भी उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत् बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश दिये गये तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 23.02.2017 को नोटिस जारी कर दिनांक 02.03.2017 को प्रातः11.00 बजे मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था किन्तु प्रतिवादी संतोष के अलावा कोई भी उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी संतोष ने मौका रिपोर्ट तैयार करते समय उपस्थिति होने के बावजूद भी हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। इस प्रकार मौके पर काबिज खातेदारो अनुसार एवं राजस्व अभिलेख अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा प्राथमिक डिक्री अनुरूप ही अंतिम डिक्री जारी है,जिसमें किसी प्रकार ना तो प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं विधिक त्रुटि कारित की गई है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

8. हमने उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये है जो संतोष प्रद प्रतीत होने से एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को तामील प्राप्त हुए की पुश्त पर रिंकू के लेने के हस्ताक्षर है किन्तु उस पर उम्र अंकित नहीं किया गया है कि वह बालिग है या नहीं है तथा अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड की प्रति अनुसार अपीलांट की तामील नोटिस प्राप्तकर्ता रिंकू अपीलांट के परिवार की सदस्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय में पॉचू द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में खातेदार सुवा पत्नि गोकल को पक्षकार संयोजित नहीं किया है जबकि दावे के साथ सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार सुवा पत्नी गोकल खातेदार है को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, पीसांगन से बंटवारा प्रस्तुत तैयार करने के आदेश दिये जाने के बावजूद भी तहसीलदार, पीसांगन स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया है, जो कानूनी रूप से विधिक सम्मत नही है तथा बंटवारा प्रस्तुत अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। वादे में प्रतिवादी संख्या 06 तहसीलदार, पीसांगन संयोजित है किन्तु उनके विरूद्ध ना तो एक पक्षीय कार्यवाही की गई ना ही जवाब लिया गया तथा ना ही उनका जवाब बंद करने के आदेश दिये है। उपरोक्त सभी कारणों एवं अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो से सहमत है इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के निर्णय एवं अंतिम डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे पक्षकारान से जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पींसागन द्वारा वाद संख्या 53/2016 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे पक्षकारान से जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता हैं। पत्रावलीफैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर